Pevival plan for Indian Iron and Steel Company

254. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS-GUPTA:

Will the Minister of STEEL be pleased to state the present stage of the revival plan for the Indian Iron and Steel Company (IISCO)?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Indian Iron & Steel Co. Ltd. (IISCO) was referred to BIFR in June, 1994. In August, 1996, SAIL had invited offers for participation in the revival/modernisatjon of IISCO through a joint venture arrangement with SAIL retaining majority shareholding of 51% in the joint venture company. SAIL had received offers from two parties viz. M/s. Tyazhpromexport (TPE) of Russia and M/s. Mitsui of Japan. M/s. Mitsui have since indicated their unwillingness for equity participation which is an essential requirement for selection of a joint Venture Partner. Consequently, at present, there is only one offer available for revival of IISCO. As IISCO has been referred to the BIFR, any scheme to be taken up for revival/modernisation will have to be in accordance with the orders of the BIFR.

Capacity Utilisation of Visakhapatnam Steel Plant

255. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the installed capacity of Visakhapatnam Steel Plant;

(b) the present capacity utilisation;

(c) whether there is any proposal to expand the capacity by Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL);

(d) whether the same has been included in the 9th plan; and

(e) if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) the installed capacity of Visakhapatnam Steel Plant is as follows:

Hot Metal	3.4 million tonnes
Liquid Steel	3.0 million tonnes
Saleable Steel	2.656 million tonnes

(b) the present capacity utilisation on pro-rate basis is as follows:—

Hot Metal	94%
Liquid Steel	79%
Saleable Steel	77%

(c) Rashtriya Ispat Nigam Limited (Visakhapatnam Steel Plant) hs proposed to take up expansion of the Plant from 3 million stage to 4.05 million stage of Liquid Steel production at an estimated cost of Rs. 984 crores (base date of last Quarter 1994-95). the expansion is proposed to be implemented in two phases *viz.* Phase-I in 39 months and Phase-II in 30 months. The expansion will be funded by Visakhapatnam Steel Plant from their own internal resoruces as well as commercial borrowings.

(d) An outlay of Rs. 1029 crores has been provided for the new schemes of Visakhapatnam Steel Plant during 9th Plan period.

(e) Does not arise in view of (d) above

बैलाडिला लौहअयस्कखान्कीस्थिति

256. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री राघवजी:
श्री पराग चालिहा:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैलाडिला आयरन माईन सहित खान सं० 11(घ) से लोहे के खनन के संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है,

(ख) यह खनन कार्य कौन और किन शर्तों पर करेगा, और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके क्या-क्या कारण हैं और यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-11 को तीन भागों, नामतः 11-ए, 11-बी, और 11-सी में बांटा गया है। निक्षेप-11 सी का प्रचालन निक्षेप-14 के साथ-साथ पहले से ही किया जा रहा है। निक्षेप-11-ए, को निक्षेप-10 में मिला दिया गया है और एन० एस० डी० सी० परियोजना 10/11-ए की कार्यान्वित कर रही है।

निक्षेप 11-बी के संबंध में सरकार की मंजूरी के आधार पर एन० एस० डी० सी० ने एन डी आई एल के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए और बैलाडिला मिनरल डेवलमेंट कंपनी लि० (बी० एम० डी० सी०) नामक एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी 31 जुलाई, 1995 को निगमित की गई। इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है कि संयुक्त उद्यम करार में वे सभी अपेक्षित प्रावधान किए जाएं जिनसे न केवल एन० ए० डी० सी० के अपितु स्थानीय आदिवासियों के हितों की रक्षा हो। इसके अतिरिक्त एन० एस० डी० सी० ने निक्षेप-11-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें भावी लाइसेंसों और साथ ही विभिन्न खनिजों के लिए खनन पट्टों को देने, नवीनीकरण या हस्तान्तरित कर सकती है चूंकि उन्हें खनिज सम्पदा का स्वामी माना गया है। तथापि, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के संबंध में जिनमें लौह अयस्क शामिल है, अनुसूचित खनिजों हेतु भावी लाइसेंस या खनन पट्टे देने, नवीनीकरण या हस्तान्तरित करने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक होती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 6.1.96 के पत्र के तहत प्रस्ताव की सिफारिश की थी और बैलाडिला निक्षेप-11 बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानोन के तहत केन्द्र सरकार की यथा अपेक्षित पूर्व मंजूरी खान मंत्रालय से मांगी थी। केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगते समय राज्य सरकार ने कतिपय शर्तें जैसे एक इस्पात संयंत्र स्थापित करना, संयुक्त उद्यम कंपनी की साम्या में 20% तक की राज्य सरकार की भागीदारी, राज्य विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमशक्ति की भर्ती करना, संयुक्त उद्यम कंपनी आदि द्वारा इस क्षेत्र में स्कूल/अस्पताल स्थापित करना आदि भी शामिल करने का प्रस्ताव किया है। खान मंत्रालय ने खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और खनिज रियाया नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि राज्य सरकार प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और एन० एस० डी० सी० इन शर्तों पर एकमत हों तथा हस्तांतरण के लिए सहमत हों और दोनों पक्षों के बीच होने वाले अनुबंध या अन्य किसी उचित वैधानिक दस्तावेज में उन्हें शामिल करें, उस प्रस्ताव को 21 मार्च, 1996 को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.96 के पत्र के तहत मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन०एम०डी०सी० ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत् राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के तहत इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति देने के संबंध में एन०एम०डी०सी० को सलाह दे।

लौह अयस्क खान 11-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के बारे में संसद सदस्य, गुरूदास दास गुप्ता और जीवन राय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.4.96 को स्थगन आदेश दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर रिट याचिका 10.5.96 को खारिज कर दी गई थी। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का पालन करने पर 31.5.1996 तक 3 सप्ताह की अवधि हेतु लगा दी गई थी। इस आदेश के विरूद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया अन्तरिम स्थगन आदेश कंपनी द्वारा और श्री गुरूदास दास गुप्ता द्वारा (क्षेत्राधिकार के आधार पर मूल याचिका को खारिज करने के विरूद्ध) अधिमत अपील का निपटान होने तक निलंबित रहेगा। ये अपीलें नियमित खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-II-बी के हस्तान्तरण के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जुलाई, 1996 में एक जनहित मुकदमा (पी०आई०एल०) दायर किया गया है। याचिका पर सुनवाई दिनांक 14.10.96 को हुई। दूसरी बैंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को 29.10.96 तक स्थगित कर दिया गया। तथापि, मामला कथित तारीख की सूची में शामिल नहीं था। पुनः इसे 6.11.96 की सूची में रखा गया। मैसर्स बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि० स्वयं को एक पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन मंजूर कर लिया गया। 18.2.97 को मामले पर सुनवाई के बाद अब इसे 26.3,97 तक अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।

सरकार द्वारा लिया गया निर्णय यह है कि यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है अतः सरकार को न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी।

गुजरात में लौह और इस्पात परियोजनाए

257. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई लौह और इस्पात परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का गुजरात में भी लौह और इस्पात परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने भी निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) सरकार द्वारा "उद्यमियों के लिए लोहा और इस्पात उद्योग के मार्गदर्शी सिद्धांत" अक्तूबर, 1992 मे जारी किए गए थे, जिनके तहत नई लोहा और इस्पात परियोजनाएं और कोयला बनाने के संयंत्रों को स्थापित किए जाने के लिए देश में 25 संभावित स्थल अभिज्ञात किए गए।

(ख) और (ग) सरकार का गुजरात में लोहा और इस्पात परियोजना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान परिसज्जित इस्पात का प्रत्याशित उत्पादन 235.04 लाख टन है।

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

Survey regarding drug abuse by students

258. SHRI P. SOUNDARARAJAN:
SHRI N. THALAVAI SUNDARAM:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey in the country to find out the extent of drug abuse by the youth, particularly students;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that drug addiction in students in the metropolises has alarmingly increased in the recent years; and

(d) if so, the action Government propose to take to tackle this drug menace?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The Ministry of Welfare sponsored a multi-centred study on student population in 1975-76 and a repeat study after a decade (1985-86) to assess the prevalence of drug abuse among University students. The 1975-76 study covered seven centres which included Bombay, Delhi, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Madras and Varanasi. In the study of 1985-86, two more centres, namely, Bangalore and Calcutta were added.

(b) The major findings of these two studies are:

(i) The prevalence of abuse of licit